कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3611/तीन/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 27.8.2013 – पारित–अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर–प्र. क. 71/09–10 निगरानी

1– राजकुमार (मृतक) पुत्र बद्रीप्रसाद
बारिस
1. श्रीमती विमला पत्नि स्व. राजकुमार
2. सुश्री रचना पुत्री राजकुमार
3. गणेश 4– योगेश दोनों नावालिग
पुत्रगण राजकुमार सरपरस्त माँ
श्रीमती विमला पत्नि राजकुमार
सभी निवासी ग्राम कालामढ़
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी ––आवेदकगण

विरूध्द

1– मध्य प्रदेश शासन
2– जमील खां पुत्र नारंगी ग्राम कालामढ़
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी ––अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी.पी.नायक
अनावेदक क–1 के पेनल लायर श्री डी.के.शुक्ला
अनावेदक 2 के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 9 – 4 – 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 71/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–8–2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मृतक राजकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद निवासीग्राम कालामढ़ के आवेदन करने पर तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण कमांक 3/1988–89 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 7–12–1988 से ग्राम कालामढ स्थित पुराना भूमि सर्वे कमांक 651/17 नया सर्वे कमांक 570/2 रकबा 1.40है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जावेगा) का पटटा प्रदान कर मौके

पर कब्जा दिया गया। पटटाग्रहीता ने अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसे वादग्रस्त भूमि का पटटा स्वीकृत है एंव पटटा प्राप्ति दिनांक से उक्त भूमि पर काविज होकर मौके पर कोठरी बनाकर कृषि कार्य कर रहे हैं किन्तु पटटे का अमल शासकीय अभिलेख में छूट गया है इसलिये ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/ठहराव अनुसार अमल कराया जावे। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी ने प्रकरण कमांक 165/2008–09 बी 121 पंजीबद्व किया एंव सुनवाई / जांच उपरांत आदेश दिनांक 14–7–09 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के नाम का अमल खसरे में किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक–2 ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 71/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–8–2013 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के आदेश दिनांक 14.7.09 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी मूलक राजकुमार के वारिसान व्दारा की गई है।

3/ आवेदकगण एंव अनावेदकगण के अभिभाषकों को बहस में सुना तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानीकर्ता (अनावेदक क–2) तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 3/1988–89 अ 19 में एंव अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रकरण कमांक 165/2008–09 बी 121 में हितबद्व पक्षकार नहीं है ।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा– 50 – निगरानी का हक – ऐसे व्यक्ति को निगरानी का हक प्राप्त नहीं , जो विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा–44 एंव 50 – दुखी पक्षकार को बताना होगा कि वह आदेश से किस प्रकार दुखी है और उसके हित पर आदेश से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शपथपत्र भी देना होगा।

अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अनावेदक कमांक–2 ने तो अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का आवेदन नहीं दिया है और किस आधार पर वह हितबद्व पक्षकार है – बताते हुये पक्षकार बनाये जाने का अनुमति आवेदन एंव शपथ पत्र भी नहीं दिया है इसके वाद भी अपर आयुक्त व्दारा इन तथ्यों की अनदेखी करके अंतिम आदेश पारित करने की त्रृटि की है।

5/ आवेदकगण की ओर से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 पोहरी व्दारा व्यवहार वाद कमांक 28 ए/2009 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 18–8–2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रतिवादी कमांक 3 म0प्र0राज्य कलेक्टर पक्षकार है। इसी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण में भी संलग्न है। माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 पोहरी के आदेश दिनांक 18–8–2010 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का वादी राजकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद ओझा को बैध भूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी घोषित किया गया है ।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 110 सहपठित 115,116 – व्यवहार न्यायालय के आदेश/डिकी – राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है।

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 110 – व्यवहार न्यायालय के आदेश/डिकी – राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने से तदाशय का अमल शासकीय अभिलेख में किया जावेगा।

किंतु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

[redacted]/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वर्ष 1988 से पटटा प्राप्ति उपरांत आवेदक ने उत्बड़–खाबड़ भूमि को समतल बनाने, मेढ़ों पर बंधान बनाने में एंव सिंचाई का साधन करने में तथा रखवाली हेतु खेत पर मकान बना लेने में काफी धन एंव श्रम खर्च किया है मूल पटटाग्रहीता मृतक है उसकी विधवा पत्नि एंव अवयस्क बच्चों के जीवनयापन का मात्र यही कृषि भूमि साधन है।

यदि आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया जावे, प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का पटटा तहसीलदार ने दिनांक 7—12—1988 को जारी किया है और 7—12—88 के 25 वर्ष वाद भूमि पुनः शासकीय अभिलेख में शासन की लिखना वर्तमान आवेदकगण की आजीविका को प्रभावित करेगा और इतनी लम्बी अवधि बाद आवेदकगण के पिता एंव पति को प्राप्त पटटे का अमल शासकीय अभिलेख से हटाना न्यायहित में उचित नहीं माना जावेगा, किन्तु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने इन तथ्यों की अनदेखी की है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 71/2009—10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27—8—2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा प्रकरण कमांक 165/08—09 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 14—7—09 से आवेदकगण के नाम का शासकीय अभिलेख में किया गया अमल यथावत् रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर